

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 19/2024  
जीसीएमएस नं. : 2024/90

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,  
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री भरत पाटीदार / गोकुल पाटीदार, प्रोपराईटर  
रजवाडी चाय, महात्मा गांधी हॉस्पिटल चौराहा,  
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री राजेन्द्र पाटीदार, अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 15-01-2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 23.09.2024 को बांसवाड़ा में महात्मा गांधी हॉस्पिटल चौराहा स्थित रजवाडी चाय की जांच उसके प्रोपराईटर श्री भरत पाटीदार की उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोट प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एचपी. गैस	012026 S	25.800	15.400	10.400
2	एचपी. गैस	004678 E	20.000	15.600	4.400
3	एचपी. गैस	94060	30.800	16.800	14.000

श्री भरत पाटीदार द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए



*(Handwritten signature)*

गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर त्रिपुरा एचपी गैस, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संतोष मसाल/ विजयलाल को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 28.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं दिनांक 15.01.2025 को जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया कि जप्तशुदा सिलेण्डर मेरे नहीं थे, गैस भरवाने हेतु अनजान व्यक्ति द्वारा दुकान पर रखा था। मुझ प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से गैस सिलेण्डर का कोई व्यवसाय या कारोबार नहीं किया जाता है और न ही अवैध भण्डारण किया जाता है एवं अपनी दुकान में व्यवसायिक कार्यों हेतु उपयोग नहीं किया जाता है। इस हेतु मुझ प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए जब्तशुदा 3 घरेलु सिलेण्डर को राजसात किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में किसी प्रकार से ऐसी कोई गलती की पुनरावृत्ति मेरे द्वारा नहीं की जायेगी। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस प्रस्तुत की।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 23.09.2024 को बांसवाडा में महात्मा गांधी हॉस्पिटल चौराहा स्थित रजवाडी चाय की जांच उसके प्रोपराईटर श्री भरत पाटीदार की उपस्थिति में श्री धर्मेन्द्र कुमार रोट प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। श्री भरत पाटीदार द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7



संलग्न


के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को जब्त किया जाकर त्रिपुरा एचपी गैस, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संतोष मसाल/ विजयलाल को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जप्त शुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 15-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. इंद्रजीत यादव)  
जिला कलक्टर  
बांसवाडा (रा.ज.)